

मध्य प्रदेश 1 1
माजिक न्याय विभाग 1
मंत्रालय, भेपाल

क्र/एफ 2-87/2010/26-2
प्रति, 1

दिनांक 25.06.2013 1

1. 1 मस्त 1 भंग युक्त, मध्य प्रदेश 1 1
2. 1 मस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश 1
3. 1 मस्त आयुक्त 1
1 गर निगम, मध्य प्रदेश 1
4. 1 मस्त मुख्य कार्यपाल 1 अधिकारी
1 जिल 1 पंचायत, मध्य प्रदेश 1
5. 1 मस्त 1 युक्त 1 चालक/उप 1 चालक 1
1 माजिक न्याय, मध्य प्रदेश 1
6. 1 मस्त मुख्य कार्यपाल 1 अधिकारी
1 ज 1 पद पंचायत, मध्य प्रदेश 1
7. 1 मस्त मुख्य 1 गरपालिक 1 अधिकारी 1
1 गर पालिक 1/1 गर परिषद, मध्य प्रदेश 1
1

विषय:- 1 मग 1 माजिक 1 रक्ष 1 पे 1 प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय कर 1 के 1 बंध 1 में 1 1

दर्भ- लोक 1 के 1 प्रबंध 1 विभाग की अधि 1 च 1 क्रमांक एफ 1308-05-01-2010 1
दि 1 नांक 24.09.201 1 में 1 मिल 1 के 1 क्रमांक 7.1 एवं दि 1 नांक 30 अप्रैल 2012
को 1 मंत्री परिषद 1 द्वारा 1 लिए गये निर्णय को 1 पाल 1 में 1 ।

-0- 1

1 निरश्रित वृद्ध, विधव, परित्यक्त, नि: 1 क्त और गरीब लो 1 को 1 माजिक 1
1 रक्ष 1 प्रदा 1 कर 1 के 1 लिए पे 1 स्वीकृत की जाती है। इ 1 के 1 तहत ऐ 1 160 वर्ष 1 के 1
वृद्ध जो 1 अप 1 भरण 1 पोषण 1 की क्षमता 1 ही 1 रखते 1 हैं। 18 वर्ष 1 के 1 अधिक आयु 1 की विधव
एवं 1 परित्यक्त महिला 1 और 1 तथा 6 वर्ष 1 के 1 अधिक तथा 18 वर्ष 1 के 1 कम आयु तक के 1
नि: 1 क्त जो 1 को 1 ल 1 भन्वित किय 1 जात 1 है। इ 1 योजना 1 क 1 ल 1 ले 1 के लिए
निरश्रित एवं 1 गरीबी रेष 1 के 1 नीचे 1 जीव 1 -य 1 प 1 कर 1 के 1 वाले 1 परिवार 1 की 1 सूची 1 में 1 म 1
मिल 1 हे 1 आव 1 यक 1 है तथा मध्य 1 प्रदेश 1 का मूल 1 निव 1 नी 1 हे 1 । 1

1 मग 1 माजिक 1 रक्ष 1 पे 1 योजना 1

1 .पात्रता के मापदण्ड 1

- 1 60 वर्ष 1 या 1 अधिक आयु के 1 निरश्रित वृद्ध 1 हे 1 ॥
- 2 1 8 वर्ष 1 के 1 अधिक किन्तु 139 वर्ष 1 आयु तक की विधव 1 महिला 1 जो 1 गरीबी
1 रेष 1 के 1 नीचे 1 जीव 1 य 1 प 1 करती 1 हे 1 ॥
- 3 1 8 1 के 1 अधिक किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्त 1 महिला 1 जो 1 गरीबी 1
1 रेष 1 के 1 नीचे 1 जीव 1 य 1 प 1 करती 1 हे 1 । 1

1

(1 रपत्र एवं 1 चिव/वर्ड 1 परिषद 1 एवं 1 ह 1 यक 1 रजस्व 1 निरीक्षक 1 वर्ड 1
प्रभरी) के 1 युक्त 1 प्रम 1 पत्र 1 य 1 न्य 1 य 1 लयी 1 अ 1 दे 1 के 1 अध 1 र 1 पर 1
परित्यक्त 1 म 1 जा 1 वेग 1 ॥) 1

4.1 6 वर्ष 1 अधिक तथा 18 वर्ष 1 कम आयु के निःशुल्क व्यक्ति जिन्की निःशुल्कत 40 प्रतिशत या उस 1 अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन 1 करते हैं। 1

2 आवश्यक दस्तावेज 1

2.1 1 आयु 1 के लिए निम्न लिखित में 1 कोई 1 एक 1

- स्कूल की प्रमाणपत्र/अंक लूची 1
- जन्म प्रमाणपत्र 1
- मतदाता सूची
- मतदाता परिचयपत्र 1
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी 1 जॉब कार्ड 1
- चिकित्सक प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में 11 कोई 1 दस्तावेज उपलब्ध 1 ही 1 है 1 पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा 1 तय 1 पित आयु 1 बंधी 1 पत्र। 1

2.2 1 आवेदन के 1 पत्र 1 पोर्ट 1 ईज के 13 फोटोग्राफ 1 । 1

3. निःशुल्कत 1 पें 1 के लिए अतिरिक्त दस्तावेज 1

3.1 चिकित्सक द्वारा जारी 140 प्रतिशत या उस 1 अधिक निःशुल्कत क 1 प्रमाणपत्र 1

4. विधवा 1 पें 1 के लिए अतिरिक्त दस्तावेज 1

4.1 पति की मृत्यु की प्रमाणपत्र (1 क्षम अधिकारी द्वारा जारी) 1

5. परित्यक्त 1 पें 1 के लिए अतिरिक्त दस्तावेज 1

5.1 1 रपंच एवं 1 चिव/वार्ड 1 पार्थद एवं 1 हयक राजस्व निरीक्षक 1 (वार्ड 1 प्रभारी) के 11 युक्त प्रमाणपत्र के 1 अधिन पर

5.2 1 न्यय लयी 1 अदे 1

6. आवेदन 1

मग्न 1 माजिक सुरक्ष पें 1 योजना प्राप्त करने 1 के लिए आवेदन 1 का प्रारूप 1 परिशिष्ट-1 पर 1 लग 1 है। 1

7. पें 1 राशि 1

आगामी अदे 1 तक 1 मग्न 1 माजिक सुरक्ष पें 1 योजना के 1 मस्त विधवा 1 परित्यक्त एवं निःशुल्कत हितग्रही के 1 रु. 50/- प्रतिहितग्रही प्रतिमह, राज्य 1 मद 1 पें 1 प्रदाय की जायेगी। 1

8. गिराश्रित व्यक्तियों 1 1 अभिप्राय 1

8.1 गिराश्रित है 1 अर्थात् उस 1 अपनी जीविक अर्जित कर 1 की तथा अपनी 1 म्हाल करने 1 की क्षमता खो 1 चुका है 1 और उस 1 को भरण-पोषण के लिए 1 उस 1 हर दे 1 वल कोई 1 है। 1

1 1 1 1 1 य 1

8.2 1 यदि उस 1 को पुत्र/पौत्र भूमिहीन 1 है य 1 उस 1 को प 1 भूमि य 1 1 प्राप्ति हेतु 1 हु 1 भी जीविकोपार्जन 1 य भरण पोषण करने 1 के लिए पर्याप्त अमद 1 1 है 1

- 1 1 1 1 य 1
- 8.3 1ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति जो अपीलीय जीवनिक अर्जित करने में 1
अर्थ है तथ उ के भरण-पोषण के लिए 1 हयत देवल केई 1
है। 1
- 8.4 1भूमिहीन क अर्थ है, ऐ 1 व्यक्ति जो एक हेक्टेयर अिंचित य अध 1
हेक्टेयर िंचित भूमि े कम भूमि धरक है। 1

9. 1 मग्र 11 माजिक ुरक्ष पें 1 स्वीकृति हेतु 1प्रधिकृत अधिकारी 1

क्षेत्र 1	अधिकारी 1	मयवधि 1
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1	मुख्य कार्यपाल अधिकारी, 1 ज 1पद पंचायत 1	60 कार्य दिव 1
गरीय क्षेत्र के लिए 1	अयुक्त, 1गर िगम 1 मुख्य 1गरपालिक 1अधिकारी, गर पालिक 1/ 1गर परिषद 1	60 कार्य दिव 1

10. अपीलीय अधिकारी 1

क्षेत्र 1	प्रथम अपीलीय अधिकारी 1	मयवधि 1	द्वितीय अपीलीय अधिकारी 1	मयवधि 1
(1) 1	(2) 1	(3) 1	(4) 1	(5) 1
ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 मुख्य 1 कार्यपाल अधिकारी, 1 ज 1पद पंचायत 1	अ 1विभागीय 1 अधिकारी 1 (राजस्व) 1	30 1 कार्य दिव 1	कलेक्टर 1	30 1 कार्य दिव 1
गरीय क्षेत्र के लिए 1 अयुक्त, 1 गर िगम 1 मुख्य 1 गर पालिक 1 अधिकारी, गर 1 पालिक 1/ गर परिषद 1	1 कलेक्टर 1 अ 1विभागीय 1 अधिकारी 1 (राजस्व) 1	1 30 1 कार्य दिव 1 1 30 1 कार्य दिव 1	1 भग 1अयुक्त 1 कलेक्टर 1	1 30 1 कार्य दिव 1 1 30 1 कार्य दिव 1

11 मग्र 11 माजिक ुरक्ष पें 1 स्वीकृत करने की प्रक्रिय

1.1 ग्रामीण क्षेत्र

अ वेदक द्वारा 1 इ 1 के लिए अवेद 1 पद 1भिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपाल अधिकारी, ज 1पद पंचायत) के प्रस्तुत किय 1 जावेग 1। 1

- .1.2 1 1 अवेद1 पर ग्रम पंचयत 1अवयक प्रतिवेद प्राप्त किय जयेग1। 1
- .1.3 1 1 अवेदक द्वर प्रचलित प्रक्रिय अ11 र यदि अवेद1 पंचयत चिव के11 मक्ष ग्रम पंचयत में1प्रस्तुत किये1जाते1हैं1तो उक्त अवेद1 क 1परीक्षण 1कर 1अवेद1 1स्वीकृति 1हेतु1 बंधित पद भिहित 1अधिकरी 1(मुख्य 1कर्यल 1अधिकरी, 1ज1पद पंचयत) 1के 1भेज 1जवेग। 1इ1 1स्थिति 1में1 मय-1ीम पदभिहित अधिकरी के1कर्यलय में1अवेद1 पत्र प्राप्त हो1के दि1क 1े प्रारंभ होगी। 1
- .1.4 1 1 प्रतिवेद1 प्राप्त हो1पर प्रकरण1स्वीकृत/अस्वीकृत किय1 जयेग1। स्वीकृति की द1 में1पें रानि क1भुगत1 अवेद1 दि1क 1े1किय जयेग और अस्वीकृति की द1 में1करण हित स्वस्पष्ट अदे1 विहित प्रारूप (1ंलग) में1परित किय1 जयेग। यह 1भूर्ण कर्यवही अधिकतम 60 दिव1 में1पूर्ण होगी। 1
- .1.5 1 1 पें1 क अगले1मह 1े1भुगत1 पें1 की नियमित प्रक्रिय 1े1 होगी। 1

2 1 गरीय क्षेत्र

1

- .2. अवेद1 पदभिहित अधिकरी के1रूप में1अयुक्त/मुख्य गरपालिक1 अधिकरी, 1गर निगम/1गर पालिक1/1गर परिषद 1 के1प्रस्तुत किय1 जावेग1, उ1 की तत्काल पवती 1बंधित द्वर1 दी 1 जयेगी। 1
- .2.2 1 अवेद1 पर कि1ी अधी1स्थ 1े अवयक जंच प्रतिवेद1 प्राप्त 1 किय1 जयेग1। 1
- .2.3 1 प्रतिवेद1 प्राप्त हो1पर प्रकरण1 स्वीकृत/अस्वीकृत किय1 जयेग1। 1 स्वीकृति की द1 में1पें रानि क1भुगत1 अवेद1 दि1क 1े1 किय1 जयेग और अस्वीकृति की द1 में1करण 1 हित स्वस्पष्ट अदे1 विहित प्रारूप (1ंलग1) में1परित किय1 जयेग। यह 1भूर्ण कर्यवही अधिकतम 60 दिव1 में1पूर्ण होगी। 1
- .2.4 1 पें1 की पत्रत1 हो1की स्थिति में1 पें1 रानि अवेद1 -पत्र 1 पंजीय1 हो1के मह 1े1स्वीकृत की जावेगी और रानि क1भुगत 1 स्वीकृति अदे1 के1 थ ही होगी। 1
- पें1 क1 अगले मह 1े1 भुगत1 पें1 की नियमित प्रक्रिय1 1े1
- .2.5 1 होग1। 1
2. 1 अवेदक के1उ1के द्वर अवेद1 प्रस्तुत कर1के11 2 ही उ1े अभिस्वीकृति 1 प्रदय की जावेगी। अभिस्वीकृति क1 प्रारूप 1ंलग है। (परिनिष्ट-2) 1
3. 1 अधिूचित 1ेग अं1 के1 अवेद पंजीय1 कर1हेतु1 मध्यप्रदे1 लोक 1ेव अं1 के 1 प्रद1 की ग रंटी (अवेद1, अपील, पु1रीक्षण, 1 स्ति की व1ूषी तथा प्रतिकर क1 भुगत1) अधिनियम 2010 के नियम-16 में1िर्धारित पंजी क1 1ंरण किय1 1 ज1 च हिए। एक ही अवेद1 के1 पृक-पृक पंजीयं1 में1 इन्द्रज कर1 अवयक 1हीं1होगी। (परिनिष्ट-3) 1


4. 1 अवेदक पत्र लेते 1 मय अवेदक क 1 मोक्ष ईश 1 म्बर क 1 उल्लेख भी करय ज वे तक अवयकत 1 र उ 1 ए 1 एमए 1 द्वार 1 अलर्ट किय 1 ज 1 के 1
5. 1 पदभित्त अधिकरी द्वार 1 पत्र हितग्रहिये 1 के 1 पे 1 स्वीकृति के 1 अदे 1 जारी कर 1 के 1 पूर्ण 1 हितग्रही के 1 निव 1 के 1 निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्ट अफि 1 में 1 बचत खात 1 खुलवाय 1 जाये 1 तथा स्वीकृति अदे 1 में 1 बैंक / पोस्ट अफि 1 क 1 म एवं 1 उ 1 क खात क 1 अंकित कर जरी किय ज ये 1 । यह क र्य 1 ही पद भित्त अधिकरी के 1 ले 1 के 1 प्रद 1 य की ग रंटी अधिनियम 2010 में 1 दी गई 60 दिव 1 की तय 1 मय-1 म 1 के भीतर ही कर 1 हेगी 1 । वी 1 स्वीकृति अदे 1 के 1 पचात् 1 हितग्रही के 1 खाते 1 में 1 प्रथम कि 1 त के जारी हो 1 पर ही पे 1 स्वीकृति अदे 1 विधिमन्य हो 1 ग 1 । 1

स्पष्टीकरण :- पूर्ण 1 के 1 मजिक 1 रुक्ष 1 पे 1 प्राप्त कर रहे 1 हितग्रहिये 1 के 1 पे 1 प्राप्त हो 1 रही 1 । वी 1 पे 1 प्रकरण 1 की स्वीकृति के 1 लिए के 1 लिए उपरोक्त नियम लागू होंगे 1

1 यह अदे 1 जारी हो 1 के 1 दि 1 के 1 प्र 1 वी 1 ल हो 1 गा 1 ।

1

1


(श्रीमती ए 1 0 खण्डते) 1
अवर 1 चिव 1
म.प्र. 1 1
मजिक न्यय विभाग 1


पू.क्र/एफ 2-87/2010/26-2 1 1 1 दि 1 के 25.06.2013 1

प्रतिलिपि :- 1

1. मुख्यमंत्री के 1 चिव, मध्य प्रदे 1 1 , भेषाल ।
- 2.1 मुख्य 1 चिव के 1 चिव, मध्य प्रदे 1 1 , भेषाल ।
- 3.1 अपर मुख्य 1 चिव, म 0 प्र 0 1 , 1 मजिक न्यय विभाग म 0 प्र 0 भेषाल 1
- 4.1 बांद्धित विभाग 1 के 1 अपर मुख्य 1 चिव / प्रमुख 1 चिव / 1 चिव, मध्य प्रदे 1 , भेषाल । 1
- 5.1 आयुक्त, 1 मजिक न्यय, म 0 प्र 0 भेषाल
- 6.1 आयुक्त, 1 गरीय प्र 1 एवं 1 विक 1 विभाग, म 0 प्र 0 भेषाल
- 7.1 आयुक्त, पंचायतीरज 1 चाल 1 लय, म 0 प्र 0 भेषाल

1

1


अवर 1 चिव 1
म.प्र. 1 1
1 मजिक न्यय विभाग 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

मध्यप्रदेश 1 1
सामाजिक न्याय विभाग 1

1
अवेदक 1
क 1
फोटोग्राफ 1
1

प्रति, 1

- 1 . 1 मुख्य कार्यपाल अधिकारी, 1
 1 जिला पद पंचायत जिला 1
 1 2. 1 आयुक्त/मुख्य गर पालिका अधिकारी, 1
 1 1 गर निगम/1गर पालिका/1गर परिषद् 1
 1 1 जिला 1

विषय:- 1 मग्न 1 सामाजिक सुरक्षा पैरा योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय 1
 1 1 करी। 1

अवेदक क 1 मग्न कोष्ठ क्रमांक

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

अवेदक क 1 अधिकार कार्ड क्रमांक क 1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

अवेदक क 1 बीपीएल कार्ड क्रमांक 1 1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. अवेदक क 1 1 म 1

2. पति/पति क 1 1 म 1

3. जाति वर्ग 1

1

 ए 1 ी ए 1 टी ओबी 1 ी म 1 न्य अल्प
 1 ख्यक 1

4. अवेदक की जन्म तिथि 1

1	1
---	---

 1

1	1
---	---

 1

1	1	1	1
---	---	---	---

5. अवेदक के 1 मय आयु 1

1

6. अवेदक के 1 मूल निव 1 स्थ 1 क 1 पूर्ण पत 1

7. अवेदक के 1 वर्तमान निव 1 स्थ 1 क 1 पूर्ण पत 1

8. अवेदक की 1 वैश्विक योग्यता (यदि कोई 1 है 1 त) 1

9. अवेदक के 1 परिवार के 1 1 मस्त 1 दरस्य 1 की जा 1 करी 1

क्रं.	म	बंध	आयु	व्यव 1 य	सामाजिक आमद 1 1
2 1	1	1	1	1	1
3 1	1	1	1	1	1
4					
5 1	1	1	1	1	1
6 1	1	1	1	1	1

0. क्या आवेदक को पूर्ण पैसा प्राप्त हो रही है

क्या आवेदक को राज्य या अथवा किसी स्थानीय स्थान पर भरण-पोषण हेतु कोई राशि, आजीवन/अन्य ढर्रे पर प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ तो कितनी और कौनसे रूप में

2. वर्तमान में जीविका कमाई / वार्षिक आय

3. आवेदक का बचत खाता

1

आवेदक/खाताधारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	पिन कोड
1	1	1	1
1			

1 1

1

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निम्नी

1

:: धोषण पत्र :: 1

1

मैं कुमारी/श्री/श्रीमती पति/पति..... निवासी 1 त्यजिष्ठतत यह धोषण करत हूँ/करती हूँ कि ऊपर बतई गई जाकारी मेरे ज्ञान के अनुसार ही है । यदि ऊपर लिखी जाकारी आगत्य पर जाँच पर मेरी पैसा बंद कर मौजोराशि पैसा के रूप में प्राप्त की है, वह मुझसे द्वारा वसूली की जा सकती है। 1

संलग्न दस्तावेज का विवरण

1 . 1

1 2. 1

1 3. 1

1 4. 1

1 5. 1

आवेदक के हस्ताक्षर 1

(वृद्ध/विधवा/परित्यक्त) 1

(6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से 1

कम आयु के निःशक्त व्यक्ति के लिए 1

पति/पालक/अभिभावक के हस्ताक्षर) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

// 1 त्प 1 // 1
कार्यालय ज 1 पद पंचायत / गर निगम / 1 गर पालिक / 1 गर परिषद्
..... जिल 1 म.प्र. 1

क्रमंक्र 1 1 1 1 1 दि 1 क 1
1
1 प्रमाणित किय 1 जात 1 है, कि कुमारी / श्री / श्रीमती 1
पित 1 / पति निवा 1 1ी ग्राम / 1 गर 1
तह 1 ील / विक 1 खण्ड जिल 1 1
.द्वार 1 ज 1 पद पंचायत / 1 गर निगम / 1 गर पालिक / 1 गर परिषद् 1
..... जिल के 1 प्रस्तुत 1 मग्र 1 मजिक 1 ुरुक्ष 1 पें 1
ये 1 के 1 आवेद 1 पत्र क 1 परीक्षण 1 मेरे द्वारा किय 1 गय 1 है । 1
1 परीक्षण उपर 1 निम क रण 1 1 अवेदक की पें 1 स्वीकृत / अस्वीकृत किये 1
ज 1 1 की अ 1 1 1 की जाती है :-
. 1 मग्र 1 1 मजिक 1 ुरुक्ष 1 पें 1 ये 1 में 1 निर्धारित पत्रत 1 के 1 म पदण्ड 1 की पूर्ति
हो 1 के कारण 1 पें 1 स्वीकृत किए ज 1 1 की अ 1 1 1 की जाती है । 1
2. 1 मग्र 1 1 मजिक 1 ुरुक्ष 1 पें 1 ये 1 में 1 निर्धारित पत्रत 1 के 1 म पदण्ड 1 की पूर्ति
हो 1 के कारण 1 आवेद 1 पत्र निरस्त किए ज 1 1 की अ 1 1 1 की जाती है । 1

1
गवाह (1 म एवं 1 हस्तक्षर) :-

- . 1
- 1
- 2. 1
- 1

1 म / पद 1 म / हस्तक्षर 1
ज 1 पद पंचायत / 1 गर निगम / 1
गर पालिक / 1 गर परिषद् 1
द्वार 1 अधिकृत अधिकारी 1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप 1

1

1

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का 1- 1 ----- 1

म एवं पता 1 1 1 1 1 ----- 1

1 1 1 1 1 1 1 ----- 1

1

1. आवेदक का 1 म एवं पता 1 1 - 1 ----- 1

1

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय 1- 1 ----- 1

में आवेदन प्राप्त का दिनांक 1

1

3. सेवा का 1 म जिसे के लिये 1 1 - 1 ----- 1

आवेदन दिया गया है 1

1

उपरोक्त दस्तावेजों का विवरण जो सेवा - 1 ----- 1

प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु

1 ----- 1

आवेदन के 1 थ 1 मग 1 हीं किये गये हैं 1 ----- 1

1

4. निश्चित की गई 1 मय-1 म 1 - 1 ----- 1

की अंतिम तारीख 1

1

1

स्थिति 1 1 1 1 प्राप्तकर्ता के हस्तक्षर 1

दिनांक 1 1 1 1 1 म एवं पदाभिहित (मुद्राहित) 1

1

1

टिप्पणी:- आवेदन के 1 थ 1 मस्त दस्तावेज प्राप्त 1 होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में उल्लेखित अंतिम तारीख 1 हीं दी जायेगी।

